न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 80/2016 जिला दौसा

हबलू पुत्र मीठालाल, जाति मीना, निवासी कालवान, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. मु. गंगा पत्नि हरसहाय, जाति मीना, निवासी मूडियाखेडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।
2. मोहर बाई पुत्री हरसहाय पत्नी हबलू, जाति मीना, निवासी कालवान, तहसील सिकराय ।
3. चैन बाई पुत्री हरसहाय पत्नी जगदीश, जाति मीना, निवासी आसाला, तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय, जिला दौसा ।
5. उप पंजीयक सिकराय, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा दिनांक 20.5.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक– 21.8.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.5.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मूडियाखेडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 172/2 रकबा 10 बीघा का खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का पति व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 का पिता हरसहाय मीना था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 25.5.2012 को तहसीलदार सिकराय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गंगा बेवा हरसहाय, रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 मोहर बाई, चैन बाई पुत्रियॅा हरसहाय के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट हबलू पुत्र मीठा लाल द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 5.2.2016 को प्रस्तुत गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.5.2015 द्वारा यह मानते हुये कि "प्रश्नगत नामांतरकरण सं या 441 दिनांक 25.5.2012 मृतक के उत्तराधिकारियों के नाम विधिवत रूप से खोला है । अपीलान्ट द्वारा उक्त नामांतरकरण की जानकारी दिनांक 2.2.2016 को होना व्यक्त किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11.10.2013 को उक्त भूमि को रहन रखकर ऋण लिया जाना उल्लेखित है । अपीलान्ट के हक में हरसहाय द्वारा की गई वसियत की पुश्त पर रेस्पोंडेन्ट नं. 3 के बतौर सहमति हस्ताक्षर होना अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा व्यक्त किया है । जबकि मृतक हरसहाय के अन्य वैद्य वारिसान की सहमति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । यदि अपीलार्थी वसीयत के आधार पर विवादित आराजी में अपने अधिकार निहित होना मानता है, तो

वह सक्षम न्यायालय से वसीयत के आधार पर विवादित आराजी में अपने अधिकार तय करा सकता है । ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं । अतः उपरोक्त विवेचनों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है व प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 25.5.2012 ग्रम मूडियाखेडा तहसील सिकराय बहाल रखा जाता है''।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 20.5.2016 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार हरसहाय द्वारा अपीलान्ट हबलू के पक्ष में वसियत लिख कर दिनांक 17.1.2007 को उप पंजीयक से रजिस्टर्ड कराई थी तथा मृतक हरसहाय की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 441 पटवारी हल्का ने वसियत के आधार पर अपीलान्ट के नाम भरा था जिस पर गिरदावर ने मृत्यु प्रमाण पत्र व वसियत पत्र के मुताबिक जॉच की व अंकन सही होना अंकित किया था, लेकिन तहसीलदार सिकराय ने नामांतरकरण में कांट छांट कर दिनांक 25.5.2012 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 के हक में तस्दीक करनें में विधिक त्रुटी की है । उनका कहना था कि रजिस्टर्ड वसियत के आधार पर तहसीलदार के समक्ष नामांतकरण तस्दीक करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। यदि रजिस्टर्ड वसियत से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को कोई आपत्ति थी तो वे उसे निरस्त कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकती थी । जब तक रजिस्टर्ड वसियत सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाती तब तक उसके आधार पर नामांतरकरण विधिक रूप से तस्दीक करने से मना नहीं किया जा सकता । तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण में कांटछांट की है, जो विधि विरूद्ध है । उनका यह भी कहना था कि वसियत की पुश्त पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के बतौर सहमति हस्ताक्षर है । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर ने अपीलान्ट के हक में रजिस्टर्ड वसियत को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश से प्रश्नगत नामांतरकरण को बहाल रखते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनके द्वारा विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा हबलू बनाम गंगा वगैहरा उनवानी दावे में निर्णय दिनांक 23.4.2018 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि इसके द्वारा विवादित भूमि खसरा नम्बर 172/2 रकबा 10 बीघा वाके ग्रम मूडियाखेडा तहसील सिकराय के 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट हबलू को तथा 1/2 हिस्से पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा इसी कदर उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी नं. 1 से 3 के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये हैं । अतः पक्षकारों के अधिकार सक्षम न्यायालय के जरिये दावे में तय हो चुके हैं और दावे के उक्त निर्णय के अनुसार ही नामांतरकरण तस्दीक होना है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किया जावे तथा दावे के निर्णय अनुसार नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार सिकराय को निर्देशित किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सिकराय ने विवादित भूमि के खातेदार हरसहाय के फौत

होने पर उसकी विरासत का प्रनगत नामांतरकरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मृतक हरसहाय की विधवा एवं पुत्रियों के नाम तस्दीक किया था, जो उचित एवं विधिसम्यक था । अधीनस्थ न्यायालय ने भी तहसीलदार सिकराय द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण को उचित एवं विधिसम्यक मानते हुये अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है । अतः उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण व अपीलाधीन आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरसहाय की विरासत /उत्तराधिकार के नामांतरकरण का है । अपीलान्ट के हक में हरसहाय द्वारा रजिस्टर्ड वसियत की हुई है जिसके आधार पर वह हरसहाय की भूमि अपने नाम कराना चाहता है । तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक हरसहाय की विधवा एवं पुत्रियों के नाम तदीक किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से यथावत रखते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के मृतक खातेदार हरसहाय की विरासत/उत्तराधिकार का विवाद है । अपीलान्ट मृतक हरसहाय की वसियत के आधार पर हरसहाय की भूमि में हिस्सा चाहता है जबकि तहसीलदार द्वारा हरसहाय की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण मृतक हरसहाय की विधवा एवं पुत्रियों के नाम तस्दीक किया है । दत्तक पुत्र के संबधं में विभिन्न न्यायालयों ने अपने निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा अन्य किसी आधार पर कोई व्यक्ति विरासतन, हक व अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें । विधि का यह तयशुदा सिद्धान्त है कि नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही में तहसीलदार वसियत/दत्तक के जटिल तथ्य तय नहीं कर सकता । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक हरसहाय की प्राकृतिक विधिक वारिस उसकी विधवा एवं पुत्रियॅा है, जिनके नाम तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट हबलू की अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.5.2016 द्वारा इस अभिमत के साथ कि ''अपीलार्थी वसियत के आधार पर विवादित आराजी में अपने अधिकार निहित होना मानता है, तो वह सक्षम न्यायालय से वसियत के आधार पर अपने अधिकार तय करवा सकता है'', खारिज करते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 441 दिनांक 25.5.2012 बहाल रखा है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 21.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर